

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप,

सहायक वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,

नई दिल्ली-110003

विषय:- होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के कोर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम खामदा एवं मालनी भाग-5 को विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/8-29/2019-FC दिनांक 03.04.2020

----0----

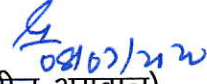
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जो बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
i	The KML files along with Geo-spatial details of village malni part-5 which is to be relocated from SATpura TR, District Hoshangabad, Madhya Pradesh, shall be submitted by the State Government. Extent of forest area which is proposed for vacation shall also be submitted.	इस प्रस्ताव में विस्थापन से वनग्राम मालनी का 20.170 हेक्टेयर तथा वनग्राम खामदा का 143.330 हेक्टेयर रिक्त हो रहा है। इस रिक्त होने वाली भूमि की KML file को वेबपोर्टल पर अपलोड करने का कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव के भाग-1 में बिन्दु क्रमांक L में अपलोड कर दिया गया है।
ii	Details of rehabilitation plan and associated funding arrangements shall also be provided for record purposes prior to Stage II approval.	वनग्राम मालनी तथा वनग्राम खामदा का rehabilitation plan को प्रस्ताव के भाग-1 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलम 2 एवं 3 में अपलोड कर दिया गया है।
iii	The complete compliance of FRA, 2006 as per norms shall be submitted.	भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रमाण पत्र को अंतिम स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
iv	Comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the proposed proposal may also be obtained by the MoEF & CC for further consideration by the Committee.	यह बिन्दु NTCA से संबंधित है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

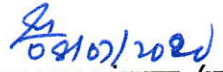
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)
भोपाल, दिनांक 8-7-20

पृ० क्र०/एफ-5/893/2019/10-11/2117

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० प्रगति भवन, भोपाल।
 2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल